

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर, जयपुर

ठासीन अधिकारी : प्रभुदयाल शर्मा, आर०ए०एस०

धना पत्र सं० 461/16

र्णय दिनांक : 25.05.2018

1. मांगीलाल
2. रामचन्द्र
3. ग्यारसीलाल
4. हनुमान
5. रामेश्वरलाल
6. लालाराम
7. मोहन

समस्त पुत्रान छोदू जाति बलाई नि० कालख तह० फुलेरा जिला जयपुर

त०

8. नारायण पुत्र मोटला
9. शंकर पुत्र मोटला
10. श्रवण पुत्र हीरा
11. मुकेश पुत्र हीरा
12. छोटीदेवी पत्नि हीरा
13. बालूराम पुत्र हनुमान
14. भंवरलाल पुत्र हनुमान
15. श्रवणलाल पुत्र हनुमान
16. पोखरमल पुत्र तुलछा
17. भीवाराम पुत्र तुलछा
18. चुकीदेवी पत्नि तुलछा
19. मूलचन्द पुत्र नाथू

समस्त जाति बलाई नि० कालख तह० फुलेरा जिला जयपुर राज०

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील फुलेरा मु० सांभरलेक
2. बन्ना पुत्र बिरदा
3. रामनारायण पुत्र बिरदा
4. बाबूलाल पुत्र बिरदा
5. रामदेव पुत्र काना
6. दूलाराम पुत्र काना
7. श्योराम पुत्र काना
8. हनुमान पुत्र गुमाना
9. जगदीश पुत्र गुमाना
10. कल्लाराम पुत्र गुमाना
11. नाथू पुत्र भूरा

अधिकारी  
र लेक

12. रामलखन पुत्र भूरा
13. तुलजा पुत्र भूरा
14. द्वारका पुत्र भूरा
15. किशोर पुत्र भूरा

समस्त जाति बलाई गि० कालख तह० फुलेरा जिला जयपुर राज०

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू० राजस्व अधिनियम  
बाबत दुरुस्त किये जाने प्रार्थीगण का हिस्सा

### निर्णय

संक्षेप में वाक्यात इस प्रकार से हैं कि पत्रावली आज कॅम्प कोर्ट ग्राम  
मंचायत कालख में पेश हुई। वादी ने वाद पत्र धारा बाबत दुरुस्ती इन्द्राज पेश कर  
नेवेदन किया है कि खं०नं० 9, 10, 11, 11/992, 12, 12/991, 12/993, 13,  
5/2, 15/4, 16, 17, 18/1, 18/2, 18/3, 19, 20, 21/2, 22/1, 28/2,  
7/2, 28/2, 29, 30/2, 31/1, 31/2, 31/3, 319/1, 319/2, 320,  
25/1, 326, 327, 328 कुल किता 34 कुल रकबा 188 रकबा 5 विस्या बाकै ग्राम  
कालख प०ह० कालख गि०ह० जोबनेर तह० सांभरलेक जिला जयपुर राज० में स्थित  
उक्त आराजीयात का भू प्रबन्धक सेटलमेन्ट काना व गुमाना व भूरा पिता लाला  
हिस्सा 1/4 नाथू वल्द लाखा हि० 1/2 जाति जाट मोटला व छोदू पिता काना  
जाति बलाई हिस्सा 1/4 सा०देह० आया था तथा उक्त भू प्रबन्धक सेटलमेन्ट के  
धार पर खातेदारों का नाम जमाबन्दी संवत् 2018 से 2021 में भी सेटलमेन्ट के  
धार पर खातेदारों का नाम जमाबन्दी संवत् 2018 से 2021 में भी सेटलमेन्ट में  
ही इन्द्राज हुआ जो भू प्रबन्धक सेटलमेन्ट में था। सहवन से जमाबन्दी में उक्त  
राजी में एग्रीकल्चर कॉलेज खातेदार मांगीलाल, रामचन्द, ग्यारसीलाल, हनुमान,  
मेश्वर, लालाराम, मोहन पिता छोदू हि० 1/8, नारायण, शंकर, हीरा पिता मोटला  
हिस्सा 1/8 जाति बलाई, बालूराम, भंवरलाल, श्रवणलाल पि० हनुमान मुन्नीदेवी  
ले हनुमान हिस्सा 1/6 तुलसा, मूचलन्द पि० नाथू हि० 1/3 विरदाराम, रामदेव,  
नाराम, श्योराम पिता काना हि० 1/2, गुमाना भूरा पिता लाला हि० 1/6 जाति  
ट गैर खातेदार दर्ज हो रखा है जिसकी दुरुस्ती हेतु प्रकरण पेश होने पर दर्ज  
रिस्टर किया गया व तहसीलदार फुलेरा से जवाब प्राप्त किया जाकर शामिल

धिकारी  
लेक

पत्रावली किया गया। मजमेंआम में जानकारी की गई एवं तहसीलदार को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया तो वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है जो एग्रीकल्चर कॉलेज के नाम दर्ज है उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि एग्रीकल्चर कालेज के नाम होने से टीनेन्सी ऐक्ट की धारा 18 के तहत खातेदारी अधिकार नहीं दी जा सकती है एवं रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं होने से प्रार्थीगणों का प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 131/136 ले०रे०ऐक्ट का खारिज किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

### क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 25.05.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत कैंप कालख में टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
साँभर लोक अधिकारी  
साँभर लोक